

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, भरतपुर

(पीठासीन अधिकारी: बीना माहवर, आर0ए0एस0)

अपील/04/2020 (अंतर्गत धारा 75 भू राजस्व अधिनियम)

बाबू पुत्र रामचन्द्र जाति जाटव निवासी खेड़ली गडासिया तहसील बयाना जिला
भरतपुर

.....अपीलान्ट

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बयाना

.....रेस्पोंडेन्ट

अपील विरुद्ध निर्णय दिनांक 30.09.2019 तहसीलदार बयाना
मिसिल नम्बर 68/2019 उनवानी राज0 सरकार बनाम बाबू
अन्तर्गत राज. भू. राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :-

- 1-श्री जितेन्द्र कुमार कर्दम अभिभाषक अपीलान्ट,
- 2-पैरोकार सरकार

निर्णय

दिनांक 07.09.2020

अपीलान्ट द्वारा यह अपील तहसीलदार बयाना के आदेश दिनांक 30.09.2019 के खिलाफ पेश की गई है। अपील के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि तहत अदालत का आदेश विधि विरुद्ध होने से काविल निरस्तनीय है। आराजी खसरा नम्बर 2255 रकवा 1.89 है0 में से 0.12 है0 भूमि पर फसल बाजरा की बोकुर अतिक्रमण करने की रिपोर्ट पटवारी हल्का द्वारा की जाकर आराजी से बेदखल करते हुये 90 दिवस की सिविल कारावास से दण्डित करने का आदेश पारित किया है जो कि खिलाफ कानून है। उक्त आराजी पर अपीलान्ट का कोई कब्जा नहीं रहा है ना ही अपीलान्ट ने कभी कोई फसल की है महज पटवारी ने रंजिश की वजह से चुनावी पार्टीवाजी की वजह से दवंग लोगों के वहकावें में आकर अपीलान्ट के विरुद्ध झूठी रिपोर्ट की है तथा अपीलान्ट के पास कोई विधिवत तामील को नोटिस भी नहीं आये मात्र इकतरफा

Page 1 of 3

अतिरिक्त जिला कलक्टर
भरतपुर (राज.)


से दण्डित करनेका आदेश पारित किया है जो कि खिलाफ कानून है।

में बिना जबाब व सुनवाई का मौका दिये यह आदेश पारित कर दिया है जो गैरकानूनी होने से काविल निरस्तनीय है। आदेश दिनांक 30.09.2019 को दिया गया है जिसकी जानकारी अपीलान्त को नहीं थी जब पटवारी हल्का दिनांक 12.11.2019 को पैनल्टी राशि मांगने आया तो उसने बताया तो दिनांक 13.11.2019 को तहसील में जाकर जानकारी की व उसी रोज नकल का प्रार्थना पत्र पेश किया व नकल प्राप्त की। अतः होने जानकारी व मिलने नकल से अपील अन्दर म्याद पेश की जा रही है। अपीलान्त ने अपील स्वीकार किये जाने की प्रार्थना की है।

अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोंड एवं तहत पत्रावली तलब की गई। तहसीलदार बयाना से प्राप्त तहत पत्रावली शामिल मिसिल की गई। योग्य अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

योग्य अभिभाषक अपीलान्त ने अपने तर्कों में अपील में अंकित कथनों को दौहराते हुये जाहिर किया कि अपीलान्त का किसी भी सरकारी रकवें पर कोई अतिक्रमण नहीं है, अगर किसी भी रकवें पर अपीलान्त का कब्जा पाया जाता है तो अपीलान्त उसे छोड़ने एव तहत अदालत द्वारा पारित दण्डादेश को भुगतने को तैयार है। अपीलान्त को तहत न्यायालय में कोई सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया है। अपीलान्त ने न्यायालय हाजा में कब्जा छोड़ने के सम्बन्ध में शपथ पत्र प्रस्तुत किया है। लगातार कब्जा करने एवं बेदखली का साक्ष्य तहत पत्रावली में उपलब्ध नहीं है। अपीलान्त को समुचित साक्ष्य/सुनवाई का भी कोई अवसर नहीं दिया गया है। अन्त में वकील अपीलान्त द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 30.09.2019 आधारहीन होने के कारण खारिज फरमाये जाने एवं अपील अपीलान्त स्वीकार फरमाये जाने का निवेदन किया गया।

पैरोकार सरकार ने तहत अदालत तहसीलदार बयाना के अपीलाधीन आदेश दिनांक 30.09.2019 की ताईद करते हुये कथन किया गया कि तहत अदालत द्वारा विधिवत कानूनी प्रक्रिया अपनाई जाकर ही अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। जिसमें कतई किसी प्रकार के कोई हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं रहती है। अपीलान्त द्वारा पूर्व में भी इस आराजी पर अतिक्रमण किया गया था। पटवारी हल्का की रिपोर्ट के आधार पर अपीलान्त के खिलाफ उक्त समस्त कार्यवाही राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के अंतर्गत की गई है जिसका तहत अदालत को वखूबी अधिकार प्राप्त है। ऐसी स्थिति में अपीलान्त के खिलाफ तहत अदालत द्वारा की गई कार्यवाही न्याय संगत है। अपीलान्त के हक में आज दिनांक तक उक्त भूमि का आवंटन/नियमन नहीं हुआ है यह भूमि चारागाह भूमि है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955



अतिरिक्त जिला कलक्टर
भरतपुर (राज.)

की धारा 16 में वर्जित होने से नियमन योग्य भी नहीं है ऐसी स्थिति में अपीलान्त किसी भी सहानुभूति का पात्र नहीं है। अपीलान्त राजकीय चारागाह भूमि पर बार-बार अतिक्रमण करने का आदी भी है। इसलिए तहत अदालत द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश बखूबी न्याय संगत है। अन्त में पैरोकार सरकार द्वारा अपील अपीलान्त आधारहीन होने के कारण खारिज फरमाये जाने एवं अपीलाधीन आदेश दिनांक 30.09.2019 यथावत रखे जाने का निवेदन किया गया।

हमने योग्य अभिभाषक उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। मौजूदा पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड से खसरा नम्बर 2255/1.89 हैक्टेयर में से 0.12 हैक्टेयर किस्म चारागाह वाकै ग्राम खेडली गडासिया पर अपीलान्त द्वारा फसल बाजरा बोकर अतिक्रमण किया जाना सिद्ध होता है। उक्त अतिक्रमण का सिद्ध होना स्वयं अपीलान्त के द्वारा न्यायालय हाजा में दिनांक 07.09.2020 को कब्जा छोड़ने के सम्बन्ध में प्रस्तुत शपथ पत्र से स्पष्ट होता है। शपथ-पत्र के अनुसार अपीलान्त द्वारा अतिक्रमण पाये जाने पर छोड़ना स्वीकार किया है। अपीलान्त द्वारा भविष्य में पुनः अतिक्रमण न करने की हिदायत देते हुये मौके पर अतिक्रमण नहीं पाये जाने की शर्त पर अपीलाधीन आदेश को केवल सजा की हद तक निरस्त किया जाना उचित पाते हैं।

अतः उपरोक्त विवेचनानुसार अपील अपीलान्त सशर्त-आंशिक स्वीकार की जाकर अपीलान्त द्वारा अतिक्रमण हटा लेने की शर्त पर अपीलाधीन आदेश 30.09.2019 केवल सजा की हद तक निरस्त रहेगा, अन्यथा अपीलाधीन आदेश यथावत रहेगा।

निर्णय आज दिनांक 07.09.2020 को सुनाया गया।


(बीना माहवर)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
भरतपुर